

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,  
महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,  
मुक्त कारागार, बक्सर।

पटना, दिनांक 30/3/2017

विषय:-मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0-22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0006 मुक्त कारागार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न आकस्मिक मदों में निकासी हेतु राशि ₹8,00,000 (आठ लाख रुपये मात्र) आवंटन की स्वीकृति।

(विपत्र कोड-N2056001010006)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016, ज्ञाप संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं अधीक्षक, मुक्त कारागार, बक्सर द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु विभिन्न आकस्मिक मदों में स्वीकृत्यादेश संख्या-1493 दिनांक-30.03.2017 द्वारा प्राप्त पुनर्विनियोग राशि में से निम्नांकित रूप से राशि का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र	कूट संख्या एवं मद का नाम	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	21 03 आहार/पथ्य	3340000	460000	3800000	अड़तीस लाख रुपये मात्र।
2	21 02 दवा भंडार	264000	200000	464000	चार लाख चौंसठ हजार रुपये मात्र।
3	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	220000	120000	340000	तीन लाख चालीस हजार रुपये मात्र।
4	13 06 वर्दी/पोशाक	36000	20000	56000	छप्पन हजार रुपये मात्र।
	कुल योग	3860000	800000	4660000	छियालीस लाख साठ हजार रुपये मात्र।

(आठ लाख रुपये मात्र)

2. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0006 मुक्त कारागार के तहत होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-N2056001010006 एवं अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

3. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय।

4. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

पठक देव राम जी. जम्नाबुद्धी अंसारी  
संपदा

राज नरेश सिंह  
उप निरीक्षक (गृह)

5. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ अनिवार्य रूप से कारा निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

चण्डदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी  
सोपदा

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)03/16-...132

पटना, दिनांक 30/...3/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चण्डदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी  
सोपदा

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)03/16-...132

पटना, दिनांक 30/...3/2017

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चण्डदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी  
सोपदा

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)03/16-...132

पटना, दिनांक 30/...3/2017

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चण्डदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी  
सोपदा

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।